[illegible] में कुमाराम व केनाराम के बयान
[illegible] पेश किया गया प्रति लिपि
[illegible] दिये जाने हेतु
हुए थे, अतः पत्रावली आदेश दिनांक
29-1-18 को पेश हो।

29-1-18 वकील पक्षकार हाजिर।

वादी गवाह कुमाराम व केनाराम
के बयान कलमबंद किये जाकर प्रति
लिपि किये गये। [illegible]
[illegible]
पत्रावली वास्ते बहस आदेश दिनांक 30-1-18
को पेश हो।

30-1-18 वकील पक्षकार हाजिर।

बहस उभय पक्ष सुनी गई।
पत्रावली वास्ते आदेश आदेश दिनांक
31-1-18 को पेश हो।

31-1-18 पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई।

वकील वादी द्वारा वाद-पत्र में वर्णित
तथ्यों को विस्तृत रूप से दोहराते हुए कथन
किया है, कि सरहद मौजा निम्बला तह० आहोर
में खस० नं० 953, 976, 979, 981 कुल रकबा 11.48 है०
वादी की खातेदारी स्थित है। वादी का सही
नाम [illegible] पुत्र वेना के स्थान पर कुमाराम पुत्र
वेनाराम दर्ज करवाने हेतु दावा पेश किया है।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
आहोर (जिला–जालोर)

दी का सही एवं वास्तविक नाम कुयाराम पुत्र वेनाराम ही है। बोलचाल भाषा में इस नाम से ही पुकारा जाना पहचाना जाता है। वादी के निजी दस्तावेजात आधारकार्ड, भामाशाह कार्ड, ग्रामीण बैंक माहापुरा की पास बुक, परिवार राशनकार्ड इत्यादि में कुयाराम पुत्र वेनाराम दर्ज है तथा वादी द्वारा शपथ-पत्र पेश कर घोषणा की है, कि कुयाराम पुत्र वेनाराम एवं गोपर पुत्र केना नाम का एक ही व्यक्ति है। इस आशय का ग्राम पंचायत निम्बला द्वारा प्रमाण-पत्र भी जारी किया गया है। राजस्व रेकर्ड में त्रुटिवश कुयाराम के स्थान पर गोपर दर्ज हो गया है इस कारण राजस्व रेकर्ड में शुद्ध नाम की घोषणा करवाने हेतु यह दावा पेश किया है। विनायदावा दिनांक 8-11-2017 को पैदा हुआ जब वादी अनुदान राशि हेतु पटवारी के पास गया और पटवारी ने बताया कि खातेदारी में कुयाराम न हो कर गोपर नाम दर्ज है। तब मियाद के अन्दर म्याद दावा पेश किया गया है। अतः दस्तावेजी साक्ष्य, एवं प्रतिवादी तहसीलदार आमेर द्वारा प्रस्तुत जवाब के आधार पर दावा वादी स्वीकार किये जाने योग्य होने से डिग्री फरमाई। जिस पर अभिभाषक राजस्व द्वारा भी कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की है। जिसके आधार पर दावा वादी स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः दावा वादी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार आमेर को आदेशित किया जाता है, कि मौजा निम्बला तहसील आमेर के खसरा नंबर 953, 976, 979, 981 कुल रकबा 11.48 हैक्टर आराजी में दर्ज खातेदार गोपर पुत्र केना के स्थान पर कुयाराम पुत्र वेनाराम इन्द्राज करे। डिग्री पर्चा मुरत्तिब हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले इजलास सुनाया गया।